

[2024] 7 एससीआर आर 466:2024 आई. एन. एस. सी 487

रत्नु यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(दांडिक अपील क्रमांक 1635/2018)

09 जुलाई 2024

[अभय एस. ओका^{1*} और राजेश बिंदल, न्यायाधिपतिगण]

विचार हेतु विवाद्यक

क्या अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति और अ.सा.-5 के 'अंतिम बार एक साथ देखे जाने' के साक्ष्य पर भरोसा करके उसे उसकी सौतेली माँ की हत्या करने हेतु दोषी सिद्ध करने में त्रुटि कारित की है; और अपीलार्थी का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ था।

शीर्ष नोट

दंड संहिता, 1860 धारा.302- अभियोजन प्रकरण कि अपीलार्थी ने अपनी सौतेली माँ पर हमला किया; उसके बालों को पकड़कर घर से ग्राम के तालाब तक घसीट कर ले गया और उसका सिर तालाब के पानी के अंदर डूबोकर कर उसका दम घोटकर उसकी हत्या कर दी-कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं- अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि, अ.सा.-1-ग्राम अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी के कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति और अ.सा.-5 (मृतक के भाई) के 'आखिरी बार एक साथ देखे जाने' के साक्ष्य पर भरोसा करना-यदि उचित हो:

अवधारित किया गया:1. मानव आचरण का सामान्य नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करना चाहता है, तो वह उस व्यक्ति के सामने ऐसा करेगा जिसमें उसे अंतर्निहित विश्वास है। अभियोजन पक्ष का यह प्रकरण नहीं है कि अपीलार्थी का घटना से पहले एक निश्चित समय के लिए अ.सा.-1 के साथ घनिष्ठ परिचय था। इसके अलावा, मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में साक्षी का संस्करण पूर्णतः पृथक है। अतः, अ.सा.-1 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः, न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के प्रकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 10]

2. मृतक के घर और तालाब के मध्य, एक सड़क और तालाब का घाट है। इसका अर्थ है कि अपीलार्थी ने मृतक को काफी दूर तक घसीटा होगा। यह घटना शाम 7 बजे से पहले हुई। घटना स्थल के आसपास बहुत से लोग होंगे। उनमें से किसी की भी साक्षी के रूप में परीक्षा नहीं की गई है। महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण नहीं करने के लिए अभियोजन के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना

1 निर्णय इनके द्वारा दिया गया

चाहिए। इसके अलावा, मृतक के शरीर पर चोटों के अभाव में, अ.सा.-5 के साक्ष्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है कि अपीलार्थी ने अपनी माँ के बाल पकड़कर उसे तालाब में खींच लिया। अतः, अंतिम बार एक साथ देखे जाने का अ.सा.-5 का साक्ष्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी का अपराध एक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है। [पैरा 5,12,13 और 14]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 161- के तहत कथन- साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 145 से इतर।

अवधारित किया गया: लोक अभियोजक द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षा से यह ज्ञात होता है कि साक्षी का सामना धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उसके दर्ज कथन के सुसंगत भाग को दिखाने से नहीं किया गया था। - साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुसार साक्षी को उसके पूर्व कथन से सामना कराना चाहिए था। [पैरा 8]

संस्वीकृति-न्यायिकेतर संस्वीकृति-मानव आचरण का सामान्य नियम।

अवधारित किया गया: मानव आचरण का सामान्य नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को स्वीकार करना चाहता है, तो वह उस व्यक्ति के सामने ऐसा करेगा जिसमें उसका अंतर्निहित विश्वास है। [पैरा 10]

उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त

देवी लाल बनाम राजस्थान राज्य [2019] 1 एस. सी. आर. 168:(2019) 19 एससीसी 447; निखिल चंद्र मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [2023] 2 एससीआर 20 :(2023) 6 एस. सी. सी. 605-संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; साक्ष्य अधिनियम, 1872।

मुख्य शब्दों की सूची

आजीवन कारावास; न्यायिक स्वीकारोक्ति; युक्तियुक्त संदेह से परे; आखिरी बार एक साथ देखा गया।

प्रकरण इससे प्रोदभूत

दाण्डिक अपील अधिकारिता : दाण्डिक अपील क्रमांक 1635/2018

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के दण्डिक अपील क्रमांक 929/2013 में पारित आदेश एवं निर्णय दिनांक 07.04.2018

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

श्रीधर वाई. चिताले, वरिष्ठ अधिवक्ता(न्यायमित्र), सुश्री बेलीना बीजू, विनायक एस. चिताले, अधिवक्तागण-अपीलार्थी के लिए।

श्रीमती प्रेरणा ढल्ल, पीयूष यादव, प्रशांत सिंह, अधिवक्तागण--उत्तरवादी के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश
निर्णय

अभय एस. ओका, न्यायाधीश:

1. सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को उसकी सौतेली माँ श्रीमती हेमवती बाई की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया। अपीलार्थी को आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट किया गया। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को निरस्त कर दिया है।

तथ्यात्मक पक्ष

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि अपीलार्थी का मृतक के साथ भूमि विवाद था। अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप है कि 2 मार्च 2013 को उसने मृतक पर हमला किया था। उसके बाद, उसने मृतक के बालों को पकड़ा और उसे गाँव के तालाब तक घसीटा। अपीलार्थी ने उसका सिर तालाब के पानी के अंदर डुबो दिया। मृतक की दम घुटने से मृत्यु हो गई। प्रथम सूचनादाता-दरशु, पीडब्लू-4 ने पुलिस को सूचित किया कि हेमवती बाई की मृत्यु डूबने से हुई है। तदनुसार, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, 'एफ. आई. आर.') दर्ज की गई थी। अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष ने दस साक्षियों का परीक्षण किया। कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1, सुखमनी बाई, ग्राम अधिकारी के साक्ष्य का अवलंब लिया। अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने साक्षी के

सामने न्यायेत्तर संस्वीकृति की थी। अभियोजन पक्ष ने मृतक के भाई पी. डब्ल्यू.-5, चपरासी के साक्ष्य पर भरोसा किया था। पीडब्लू-5 के अनुसार, उसने अपीलार्थी को मृतक के बाल पकड़े हुए देखा था और वह उसे तालाब की ओर ले जा रहा था। हालाँकि पीडब्लू-1 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, लेकिन विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उसके परिसाक्ष्य के एक हिस्से पर भरोसा किया था। न्यायालयों ने भी पीडब्लू-5 के परिसाक्ष्य पर विश्वास किया था।

तर्क

3. अपीलार्थी की ओर से न्याय मित्र के रूप में पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीधर वाई. चिताले ने हमारे समक्ष शव परीक्षण रिपोर्ट और संबंधित अभियोजन पक्ष के साक्षियों के परिसाक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। पीडब्लू-9, डॉ. पंकज किशोर के साक्ष्य के आधार पर, उनका तर्क है कि मृत्यु डूबने के कारण हुई थी, और अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए उन पर भार नहीं डाला है कि यह एक मानवघाती मृत्यु थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-1, जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था, के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि मुख्य परीक्षण में साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया था कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की संस्वीकृति की थी। हालाँकि, लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने कथित रूप से कथन किया था कि अपीलार्थी ने उसके सामने मृतक की हत्या के विषय में संस्वीकृति की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पीडब्लू-5 के साक्ष्य के संबंध में, उन्होंने कथन किया कि हालांकि साक्षी ने अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने अपीलार्थी को मृतक को तालाब की ओर घसीटते हुए देखा था, पीडब्लू-2-बिसोहा, जो कथित रूप से उस समय मौजूद था, ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। इसके अलावा, एक अन्य साक्षी, लखन, कथित तौर पर वहाँ मौजूद था और अभियोजन पक्ष द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया गया था। उसने बताया कि घटना शाम को हुई थी और पीडब्लू-10, अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया था कि मृतक के घर के पास एक मंदिर है और अन्य लोग

पास में रहते थे। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

4. उत्तरवादी राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह ने व्यक्त किया कि लोक अभियोजक द्वारा किये गये अपने प्रतिपरीक्षण में पीडब्लू-1 ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन के बारे में स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है और यह कि न्यायालय हमेशा ऐसे साक्षी के परिसाक्ष्य के एक हिस्से पर विश्वास कर सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-5 के साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था, और उस समय, वह मृतक को उसके बालों से पकड़े हुए था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त है कि मृतक की मृत्यु मानवघाती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त दो साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य को देखते हुए, अपीलार्थी का अपराध स्थापित हो गया है।

तर्कों की विवेचना

5. हमने अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य और अभिलेख पर अन्य दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। अभियोजन पक्ष पीडब्लू-1 के समक्ष अपीलार्थी द्वारा किए गए न्यायेत्तर संस्वीकृति और पीडब्लू-5 के अंतिम बार एक साथ देखे जाने के साक्ष्य पर विश्वास कर रहा है। अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि मृतक के साथ उसके घर में एक बहस के बाद, अपीलार्थी ने मृतक को बालों से पकड़ लिया और उसे गाँव के तालाब की तरफ खींचने लगा। अभियोजन पक्ष एक स्थल मानचित्र का अवलंब ले रहा है। यह दर्शाता है कि तालाब और मृतक के घर को एक सड़क अलग करती है। रेखाचित्र तालाब के चारों ओर एक उन्नत भूभाग और सड़क से सटे तालाब के उन्नत भूभाग पर दो मंदिरों के अस्तित्व को दर्शाता है। मंदिर मृतक के घर के ठीक सामने हैं। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, अपीलार्थी मृतक के बाल खींचते हुए उसे घर से तालाब तक ले गया था। मृतक के घर और तालाब के बीच, एक सड़क और तालाब का

उन्नत भूभाग है। इसका तात्पर्य है कि अपीलार्थी ने मृतक को काफी दूर तक घसीटा होगा। शव परीक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप अभिलिखित है कि मृतक के शरीर पर किसी भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। अपने साक्ष्य में, पीडब्लू-9 डॉ. पंकज किशोर ने दोहराया था कि मृतक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। यदि अपीलार्थी द्वारा मृतक को घसीटने की अभियोजन पक्ष की कहानी सत्य होती, तो मृतक के शरीर पर कुछ चोट लगी होती। इसलिए, शरीर पर किसी भी चोट के निशान की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के प्रकरण के विरुद्ध है।

6. पीडब्लू-9 के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक के श्वासनली और फेफड़ों में खारा पानी पाया गया था। शायद यह पता लगाने के लिए कि मृतक के श्वासनली और फेफड़ों में पाया गया पानी तालाब का पानी था या नहीं, तालाब से पानी के नमूने एकत्र किए गए और प्रयोगशाला में भेजे गए थे। अन्वेषण अधिकारी पीडब्लू-10 ने अपने अभिसाक्ष्य की कंडिका-11 में यही कथन किया है। उन्होंने आगे कथन किया था कि राज्य न्यायिक प्रयोगशाला के निदेशक ने बिना परीक्षण किए नमूनों को इस आधार पर वापस कर दिया कि शव परीक्षण लेखों में मृत्यु का कारण स्थापित किया गया था।
7. पीडब्लू-9 के अनुसार, मृत्यु का कारण डूबना था; हालाँकि, वह यह बताने में असमर्थ थे कि मृत्यु नरहत्या थी या दुर्घटना। इसका कारण यह है कि उनके लिए यह बताना कठिन था कि मृतक खुद पानी में डूब गयी थी या उसे पानी में डुबाया गया था। वास्तव में, शव परीक्षण लेखों में, पीडब्लू-9 ने कथन किया था कि एक विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए। स्वीकार्यतः, किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ली गई थी।
8. अब, हम पीडब्लू-1 के साक्ष्य की विवेचना करते हैं। वह एक ग्राम कोतवाल थी। वह शव की बरामदगी के पंचनामे की और पुलिस द्वारा बनाए गए स्थल के रेखाचित्र की हस्ताक्षरकर्ता थी। मुख्य परीक्षा में, उसने कथन किया था कि घटना की तारीख को, शाम लगभग 7 बजे, अपीलार्थी उसके घर आया और कहा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अपीलार्थी ने

कथन किया था कि उसने मृतक की हत्या की थी। पुलिस द्वारा साक्षी का एक बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सीआरपीसी') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। स्पष्टतः, चूंकि उक्त साक्षी ने पुलिस के बयान में जो कहा था, उससे पलट गयी, अतः लोक अभियोजक के आग्रह पर, साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। लोक अभियोजक द्वारा साक्षी के प्रति-परीक्षण से दर्शित होता है कि साक्षी का सामना दंडप्र०सं० की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज उसके बयान के प्रासंगिक हिस्से को दिखाकर नहीं कराया गया था। साक्षी का सामना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुसार उसके पूर्व बयान से कराया जाना चाहिए था। हालाँकि, लोक अभियोजक द्वारा किये गए प्रतिपरीक्षण में, साक्षी ने लोक अभियोजक द्वारा दिए गए इस सुझाव को स्वीकार किया था कि अपीलार्थी घटना की तारीख को शाम 7 बजे उसके घर आया था और उसे बताया था कि उसने गाँव के तालाब में उसकी सौतेली माँ का सिर डुबोकर उसकी हत्या कर दी है।

9. न्यायेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य मूल्य के संबंध में, देवी लाल बनाम राजस्थान राज्य² के प्रकरण के निर्णय की कंडिका 11 में इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधिपतियों की पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

“11. यह सच है कि एक न्यायेत्तर संस्वीकृति का उपयोग इसके कर्ता के विरुद्ध किया जाता है, लेकिन सावधानी के मामले के रूप में, न्यायालय को अभिलेख पर अन्य साक्ष्यों से इसकी संपुष्टि करने की सलाह दी जाती है। गोपाल साह बनाम बिहार राज्य [गोपाल साह बनाम बिहार राज्य, (2008) 17 एस. सी. सी. 128: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 466], के प्रकरण में इस न्यायालय ने न्यायेत्तर संस्वीकृति पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रथम दृष्टि में न्यायेत्तर संस्वीकृति एक दुर्बल साक्ष्य है और तर्कपूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला के अभाव में, न्यायालय दोषसिद्धि दर्ज करने के उद्देश्य से उस पर भरोसा करने के लिए अनिच्छुक है। वर्तमान प्रकरण में, यह देखा जा सकता है कि इस पर विश्वास करने के लिए अभिलेख पर कोई अतिरिक्त तर्कपूर्ण परिस्थितियाँ नहीं हैं। वहीं, शंभू सिंह (पीडब्लू-3) ने दंडप्र०सं० की धारा 164 के अंतर्गत अपना बयान दर्ज करते समय अभियुक्त बाबू लाल द्वारा किये गये न्यायेत्तर संस्वीकृति के संबंध में ऐसा

कथन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, इसका समर्थन करने के लिए कोई अन्य परिस्थितियाँ अभिलेख में नहीं हैं।

(बल दिया गया)

निखिल चंद्र मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य³ के प्रकरण में इस न्यायालय की निर्णय की कंडिका 16 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया था:

“16. यह एक स्थापित विधिक सिद्धांत है कि न्यायेत्तर संस्वीकृति एक दुर्बल साक्ष्य है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां एक न्यायेत्तर संस्वीकृति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और यह अपना महत्व खो देती है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सुस्थापित है कि यह सावधानी का एक नियम है जहां न्यायालय आम तौर पर इस तरह के न्यायेत्तर संस्वीकृति पर कोई विश्वास करने से पहले एक स्वतंत्र विश्वसनीय संपुष्टि की ओर देखती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि न्यायेत्तर संस्वीकृति पर आधारित हो सकती है, लेकिन अपनी प्रकृति में, यह एक दुर्बल साक्ष्य है।

(बल दिया गया)

10. मानव आचरण का सामान्य नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति उसके द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करना चाहता है, तो वह ऐसा उस व्यक्ति के सामने करेगा जिस पर उसे अंतर्निहित विश्वास है। अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह नहीं है कि अपीलार्थी का घटना से पहले एक निश्चित समय के लिए पीडब्लू-1 के साथ घनिष्ठ परिचय था। इसके अलावा, मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में साक्षी का संस्करण पूर्णतः भिन्न है। इसलिए, हमारे विचार में पीडब्लू-1 का परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इसलिए, न्यायेत्तर संस्वीकृति के प्रकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

11. अब, हम पीडब्लू-5 के परिसाक्ष्य पर आते हैं। अपने मुख्य परीक्षा के प्रारंभ में, उसने कथन किया था कि मृतक उसकी बड़ी बहन थी। उसने कथन किया था कि मृतक और अपीलार्थी के बीच उसके घर में झगड़ा हुआ था। इसके बाद, अपीलार्थी ने मृतक को उसके बालों से पकड़ा और उसे पटक दिया। उस समय पीडब्लू-2, बिसोहा उपस्थित

था। साक्षी ने आगे कथन किया था कि अपनी माँ के बाल पकड़कर, अपीलार्थी उसे तालाब की ओर ले गया था। उस समय, एक लखन वहाँ आया और अपीलार्थी को समझाने का प्रयास किया कि उसे अपनी माँ के साथ इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। अपीलार्थी ने उसे अपशब्द कहे और जाने के लिए विवश किया। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-2 बिसोहा ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया था और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लखन, जिसने कथित तौर पर अपीलार्थी को मृतक के बाल पकड़कर घसीटते हुए देखा है, का साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं किया गया है।

12. जैसा कि अन्वेषण अधिकारी पीडब्लू-10 ने स्वीकार किया है, मृतक के घर के पास एक मंदिर है, और अन्य लोग पास में ही रहते हैं। यह घटना शाम 7 बजे से पहले हुई थी। तालाब के उन्नत भूभाग पर दो मंदिर थे। स्पष्टतः, घटना स्थल के आसपास बहुत से लोग होने चाहिए। उनमें से किसी से भी साक्षी के रूप में परीक्षण नहीं किया गया है। इसके अलावा, अधिकारी ने कथन किया था कि अन्वेषण के दौरान यह पता नहीं चला कि मृतक चिल्लाई थी। लखन सहित तात्त्विक साक्षियों का परीक्षण नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष के विरुद्ध एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। पीडब्लू-5 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, लखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षी था। अभियोजन पक्ष ने उसका परीक्षण नहीं करने के लिए कारण नहीं बताया है। पीडब्लू-2, बिसोहा ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा, मृतक के शरीर पर चोटों के अभाव में, पीडब्लू-5 के परिसाक्ष्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है कि अपीलार्थी ने अपनी माँ के बाल पकड़कर उसे तालाब की तरफ घसीटा था। इसलिए, पीडब्लू-5 का अंतिम बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य स्वीकार करने योग्य नहीं है।

13. हम जो पहले अभिनिर्धारित कर चुके हैं, उस पर विचार करते हुए, अपीलार्थी का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ था। अपीलार्थी को 11 वर्ष तक कारावास में रखा गया था।

14. अतः 7 अप्रैल, 2018 और 9 जुलाई, 2013 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को पुलिस थाना खरोरा, जिला रायपुर की एफ. आई. आर. संख्या 68/2013 में दर्ज अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य प्रकरण में अपीलार्थी के अभिरक्षा की आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत मुक्त किया जायेगा। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

प्रकरण का परिणाम: अपील स्वीकृत।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।